कार्यालय महानिदेशक,चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,उत्तर प्रदेश,लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/2011/8314 लखनऊ:दिनांक: 09 नवम्बर,2011

आवश्यक सूचना

सर्व साधरण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0में शिक्षा के व्यावसायीकरण संबंधी समिति की बैठक में प्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में अध्ययनरत छात्रों को शोषणमुक्त शिक्षा प्राप्त कराये जाने तथा निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित कराये जाने के उद्‌देश्य से शासनादेश दिनांक 28.3.2011 द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है।

1. जिलाधिकारी — अध्यक्ष
2. कोषाधिकारी — सदस्य
3. संबंधित मण्डल में स्थित राजकीय मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य — सदस्य
4. अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) — सदस्य

अतः निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में अध्ययनरत छात्र/उनके अभिभावक यदि वह इन कालेजों के प्रशासन द्वारा किसी प्रकार से उत्पीडित अथवा शोषित किए जा रहें हों, तो वह ऐसे प्रकरणों से उक्त समिति को अवगत कराएं, ताकि प्राथमिकता पर उनका निराकरण हो सके।

(सौदान सिंह)
महानिदेशक।

PDF HTML DOC XLS BMP JPEG
Paperless printer
RareFind Engineering Innovations
www.PaperlessPrinter.com
Trial Version

संख्या–एम0ई0–3/2011/ तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि,निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1.प्रमुख सचिव,उत्तर प्रदेश शासन,चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2
2.मेसर्स एम0एम0एडवरटाइजिंग,लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को दैनिक हिन्दुस्तान के समस्त संस्करणों में **दिनांक 10.11.2011** को सूक्ष्म अक्षरों,न्यूनतम स्थान एवं शासकीय दरों पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें। प्रकाशनोपरान्त प्रकाशित प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
2.संयुक्त निदेशक,चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त को विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
3.आहरण वितरण अधिकारी,चिकित्सा शिक्षा।

(सौदान सिंह)
महानिदेशक।